प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांकः- 14.11.2023

अवैध शराब तस्करी पर अनवरत प्रहार के क्रम में सोनभद्र पुलिस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 01 DCM ट्रक में लोड 794 पेटी में 21432 बोतलों में 7074 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (शराब की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपये) बरामद कर 02 अन्तरप्रांतीय शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थ/शराब तस्करी के विरुद्ध चलाये गये प्रहारक अभियान की निरन्तरता में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राहुल पाण्डेय के निर्देशन में एसओजी/सर्विलांस व थाना चोपन एवं आबकारी विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रभावी एवं अचूक आसूचना संजाल द्वारा प्राप्त इनपुट से दिनांक 14.11.2023 को त्वरित कार्यवाही करते हुए समय 07.35 बजे वाराणसी-शक्तिनगर राज्य मार्ग पर बजरंग ढाबा सलखन (चोपन) के सामने खड़े 01 अदद डीसीएम ट्रक फर्जी नंबर प्लेट संख्या PB 06BE2011 में लोड 794 पेटी में कुल 7074 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब सर नेवी क्लब ब्लू प्रीमियम ब्लेण्डेड व्हिस्की (कुल शराब की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपये) की बरामदगी कर ट्रक चालक सहित 02 नफर अन्तर्राज्जीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया । उक्त के सम्बन्ध में थाना चोपन पर मु0अ0सं0-256/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व धारा 419, 420, 467, 468, 471,120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोगों को मो0 नं0-8102135463 के कॉलर जो अमृतसर का रहने वाला है, ने श्रीराम एग्रीवेंचर प्रा0लि0 सतपुली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड से यह शराब लोड कराकर मेसर्स मैजेस्टिक बोंडेड वेयर हाउस, बंदरदेवा अरूणाचल प्रदेश के लिए इन्वाइस तैयार कर दिया है परन्तु हम लोगों को यह शराब झारखण्ड के रांची शहर तक पहुंचाना था जहां इन्हे बाजार में दोगुने दामों पर बेचा जाता है। पहले भी हम लोग ये काम कई बार कर चुके हैं। वाहन स्वामी का नाम गुरूदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह ग्राम अलावा वाला पोस्ट- तालवन्डी, रामाडेरा, बाबा नानक, गुरूदासपुर पंजाब है जिसने इस समय गाड़ी पर लगी फर्जी नंबर प्लेट PB06BE2011 को लगाकर जाने के लिए बताया था, वाहन का असली नंबर PB06BC2011 है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. गुरमुख सिंह उर्फ दीदार सिंह पुत्र अजाब सिंह निवासी- पराचा, थाना फतेहगढ चूड़िया जिला गुरदासपुर पंजाब उम्र लगभग 57 वर्ष (वाहन चालक)।

2. शिवम कश्यप पुत्र गंगा राम निवासी रामपुर नवदिया, थाना- खुदागंज, जिला शाहजहांपुर उम्र लगभग 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1. गुरूदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह ग्राम अलावा वाला पोस्ट- तालवन्डी, रामाडेरा, बाबा नानक, गुरूदासपुर पंजाब (वाहन स्वामी)।

2. मो0नं0-8102135463 का कालर नाम पता अज्ञात।

3. मेसर्स मैजेस्टिक बोंडेड वेयर हाउस, बंदरदेवा अरूणाचल प्रदेश का मालिक नाम पता अज्ञात।

बरामदगी का विवरणः-

1. 794 पेटी में 21432 बोतलों में 7074 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 70 लाख रूपये)।

2. एक डीसीएम ट्रक वाहन संख्या- PB06BC2011

3. एक अदद कूट रचित नम्बर प्लेट- PB06BE2011

4. 01 अदद मोबाइल फोन।

5. नगद 5650/- रूपये।

गिरफ्तारी /बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम का विवरणः-

01. प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह थाना चोपन जनपद सोनभद्र ।

02. निरीक्षक राजेश सिंह प्रभारी एसओजी/सर्विलांस जनपद सोनभद्र।

03. निरीक्षक आबकारी रोहित कुमार जनपद सोनभद्र।

04. उ0नि0 परमानन्द यादव थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

05. हे0का0 अमर सिंह स्वाट, हे0का0 सतीश सिंह पटेल, हे0का0 शशि प्रताप सिंह, का0 रितेश पटेल, का0 अजीत कुमार यादव, का0 प्रेमप्रकाश चौरसिया स्वाट/एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।

06. हे0का0 सौरभ राय, हे0का0 प्रकाश सिंह, का0 अमित सिंह सर्विलांस टीम जनपद सोनभद्र।

07. आबकारी सिपाही आशीष कुमार यादव जनपद सोनभद्र।

08. हे0का0 केवला प्रसाद, हे0का0 रूद्रकांत यादव थाना चोपन जनपद सोनभद्र।